

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना संख्या 25/2016

1. श्री बालूराम पुत्र श्री मगना गुर्जर
2. श्री मगना पुत्र श्री लक्ष्मण गुर्जर
दोनों जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम – शिवनगर, ग्राम पंचायत – रामगढ तहसील
मसूदा जिला अजमेर।प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र श्रीमांगू गुर्जर निवासी ग्राम शिवनगर, ग्राम पंचायत – रामगढ, तहसील
मसूदा जिला अजमेर।
2. गंगाराम पुत्र श्री शेराराम गुर्जर निवासी ग्राम गेनपुरा, ग्राम पंचायत रामपुरा, तहसील
शम्भूगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति संतोष पत्नि श्री रामकरण भाम्बी निवासीनी ग्राम – देवास तहसील मसूदा
जिला अजमेर।
4. श्रीमति खेमी पत्नि श्री रूघनाथ गुर्जर निवासीनी ग्राम शिवनगर, ग्राम पंचायत रामगढ,
तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर तहसील बिजयनगर
जिला अजमेर।अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा आकरोल पटवार हल्का शिवनगर भू0 अ0 नि0 रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 878 रक्बा 14-02-00 बीघा उनकी सयुक्त से खेतदारी की भूमि है। जिसमें पडोसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम आकरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता स0 131 में ख0 न0 878 रक्बा 14-02-00 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिये जाते हैं। कि-

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम आकरोल स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 878 रक्बा 14-02-00 बीघा में मौका कमीशनर रु 2000/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है। कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 15/11/17 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

